भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3294
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

बागवानी प्रसंस्करण और निर्यात संवर्धन

†3294. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वैश्विक स्तर पर फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत अपने कुल बागवानी उत्पादन का केवल 8-10 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत करता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों का वर्षवार प्रतिशत कितना है और प्रमुख बागवानी उत्पादक देशों के साथ इसकी क्या तुलना है;

(ग) बागवानी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यवार और योजनावार आवंटित की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(घ) किए गए विशिष्ट हस्तक्षेप क्या हैं साथ ही सहायता प्रदत्त इकाइयों की संख्या कितनी है, निर्मित शीत भंडारण क्षमता कितनी है और स्थापित मूल्यवर्धन अवसंरचना क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;

(च) प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के निर्यात में पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पादवार और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार वृद्धि कितनी है; और

(छ) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान बागवानी प्रसंस्करण स्तर और निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए डेलॉइट के माध्यम से "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन" शीर्षक नामक एक नवीनतम अध्ययन किया था । जुलाई 2021 में डेलॉइट द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए भारत में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के स्तर का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है:

श्रेणी / सामग्री	**प्रसंस्करण का अनुमानित स्तर (%)**
फल	4.5
आलू और प्याज	3.2
अन्य सब्जियां	2.4

इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख बागवानी उत्पादक देशों के साथ भारत में प्रसंस्करण स्तर की सीमा की तुलना निम्नानुसार है:

प्रसंस्करण का अनुमानित स्तर (%)		
देश	**फल**	**सब्जियां**

भारत	4	3
संयुक्त राज्य अमरीका	20	11
ब्राज़ील	38	-
थाईलैंड	46	32
इटली	42	38
चीन	7	3

(ग) और (घ): एमओएफपीआई केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित होती हैं। योजनाएं मांग आधारित हैं और समय-समय पर निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजनाओं के अंतर्गत, निधि राज्य-वार/क्षेत्र-वार आवंटित नहीं की जाती है। बागवानी प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत इकाइयों की संख्या, शीत भंडारण क्षमता, मूल्य संवर्धन, आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण **अनुबंध –I** में दिया गया है।

(ङ) और (च): कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई सहित निर्यातकों को कृषि / बागवानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से 2025-26) में एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत तीन व्यापक क्षेत्रों, अर्थात् निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों सहित एपीडा-निर्धारित उत्पादों के निर्यात सुविधा के लिए, एपीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) में भागीदारी का आयोजन करता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पादों को विदेशी खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, एपीडा विभिन्न देशों के प्रमुख आयातकों को आमंत्रित करके भारत में रिवर्स बायर-सेलर मीट (आरबीएसएम) आयोजित करता है। ये आयोजन संभावित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष भारत के निर्यात-संभावित कृषि और प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के प्रदर्शन, बातचीत और प्रचार के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करते हैं, जिससे बाजार पहुंच और व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सकता है।
- एपीडा की भारती पहल - "भारत का निर्यात समर्थन के लिए कृषि प्रौद्योगिकी**,** अनुकूलता**,** उन्नति और इन्क्यूबेशन का केंद्र**"** के तहत**,** कृषि**-**खाद्य**,** कृषि**-**प्रौद्योगिकी और एसपीएस समाधानों सहित 100 स्टार्ट**-**अप का चयन किया गया है, जिसमें प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों में लगे स्टार्ट-अप भी शामिल हैं। एपीडा निर्यात को सक्षम बनाने के लिए इन स्टार्ट-अप्स को हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग सहायता प्रदान करता है।
- इसके अलावा, एपीडा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में एमएसएमई, महिला उद्यमियों, हितधारकों और एफपीओ का समर्थन करने के लिए, प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों सहित, एपीडा-अनुसूचित उत्पादों के लिए आयात देश की आवश्यकताओं, निर्यात प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों और नियामक अनुपालन से संबंधित विषयों पर भारत भर में क्षमता निर्माण-सह-संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पाद-वार प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों का निर्यात **अनुबंध-II** में संलग्न है। तथापि, सरकार भारत से कुल कृषि निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। राज्यों के निर्यात आंकड़े शिपिंग बिलों में निर्यातकों द्वारा बताए गए स्टेट-ऑफ-ओरिजिन कोड के आधार पर संकलित किए जाते हैं। इस प्रकार, आंध्र प्रदेश के लिए प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के निर्यात का राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा मान्य नहीं किया गया है।

(छ): वर्तमान में बागवानी प्रसंस्करण और निर्यात हिस्सेदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से बागवानी उत्पादों की विकारी प्रकृति, उत्पादन में परिवर्तनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और मांग पैटर्न की गतिशील प्रकृति के कारण है।

*****

अनुबंध- I

लोकसभा में 12 मार्च, 2026 को उत्तर हेतु "बागवानी प्रसंस्करण और निर्यात संवर्धन" पर पूछे गए प्रश्न संख्या 3294 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बागवानी उत्पादों के लिए पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं का विवरण

योजनाएं	इकाइयों की संख्या	शीतगृह क्षमता (लाख मीट्रिक टन)	प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (एलएमटी / वार्षिक)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रु में)	जारी किया अनुदान (करोड़ रु में)
एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला)	167	7.47	44.46	1315.89	1239.24
खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)	140	-	24.61	546.56	405.46
ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)	30	-	10.15	365.20	221.70

31.12.2025 को

अनुबंध -II

लोकसभा में 12 मार्च, 2026 को उत्तर हेतु "बागवानी प्रसंस्करण और निर्यात संवर्धन" पर पूछे गए प्रश्न संख्या 3294 के (ङ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विश्व को भारत का प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों का निर्यात: एपीडा उत्पाद

उत्पादों	**मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में**					**सीएजीआर (%)**	**मात्रा लाख मीट्रिक टन में**				
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**		**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
प्रसंस्कृत सब्जियां	501.61	534.98	620.09	787.28	897.07	15.6%	0.04	4.61	4.10	5.38	6.15
प्रसंस्कृत फल, जूस और नट्स	409.74	462.90	571.51	659.79	698.11	14.2%	3.05	3.72	3.86	4.87	5.00
ककड़ी और खीरा (तैयार और परिरक्षित)	223.04	199.46	218.74	256.58	306.72	8.3%	2.24	2.18	2.28	2.44	2.90
कोको उत्पाद	149.78	153.71	154.54	183.54	295.55	18.5%	0.26	0.41	0.34	0.36	0.45
काजू गिरी	393.28	425.81	338.86	317.47	293.87	-7.0%	0.50	0.54	0.45	0.47	0.38
आम का गूदा	96.43	124.11	147.60	75.35	80.40	-4.4%	0.98	1.23	1.10	0.61	0.63
केस्यू नट्स फ्रेश / ड्राई इन शेल	27.15	27.25	17.43	21.40	44.35	13.1%	0.20	0.41	0.14	0.41	0.41
काजू भुना हुआ / मूल्य वर्धित	18.65	23.68	18.70	22.79	23.76	6.2%	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03

काजू शेल तरल (सीएनएसएल)	2.66	4.36	14.02	9.31	7.20	28.3%	0.04	0.05	0.17	0.13	0.08

स्रोत: डीजीसीआईएस